

(136)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, गवालियर

समक्षः
एम०के० सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 185-एक/16 विरुद्ध आदेश दिनांक 30-11-15 पारित
द्वारा कलेक्टर, जिला जबलपुर प्रकरण क्रमांक 440/अ-21/2013-14.

उज्यार सिंह उर्फ वीरेन्द्र सिंह गोड वल्द लट्टूसिंह
निवासी नीमी तहसील पाटन
जिला जबलपुर

----- आवेदक

विरुद्ध

- 1- म०प्र० शासन द्वारा कलेक्टर, जबलपुर
- 2- श्री रमेश प्रसाद साहू पिता स्व. श्री परमूलाल साहू
निवासी वार्ड नंबर 6 कटरा मुहल्ला पाटन
तहसील पाटन जिला जबलपुर
- 3- श्री मनमोहन सिंह परिहार पिता सत्यप्रकाश सिंह परिहार
निवासी सिविल लाइन पाटन
जिला जबलपुर

----- अनावेदकगण

श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अधिवक्ता, आवेदक.

श्री राजीव गौतम, अधिवक्ता, अनावेदक क्रमांक - 1.

आदेश

(आज दिनांक २४ - १ - २०१६ को पारित)

यह निगरानी कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 440/अ-21/2013-14

R

में पारित आदेश दिनांक 30-11-15 के विरुद्ध म0प्र0 भू-राजस्थ संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है ।

2- प्रकरण का सार्वश संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा अधीनस्थ व्यायालय में अपने स्वामित्व की ग्राम नटवारा प.ह.नं. 34 रा.निमं. शहपुरा तहसील शहपुरा जिला जबलपुर स्थित भूमि ख. नं. 444/2, 613 एकबा क्षमशः 0.840, 0.400 हैक्टर कुल एकबा 1.240 हैक्टर के विकाय की अनुमति देने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया । कलेक्टर ने उक्त आवेदन अनुविभागीय अधिकारी को जांच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा । अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण तहसीलदार को जांच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा गया । तहसीलदार ने जांच कर एवं उभयपक्षों के कथन लेकर अपना प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी को भेजा जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने अधीनस्थ व्यायालय को प्रेषित किया । प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत अधीनस्थ व्यायालय ने आलोच्य आदेश द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रश्नाधीन भूमि के विकाय का आवेदन निरस्त किया । जिसके विरुद्ध यह निगरानी इस व्यायालय में पेश की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये गये । उनके द्वारा निगरानी में दिए गए तर्कों को दोहराते हुए अधीनस्थ व्यायालय के आदेश को निरस्त कर प्रश्नाधीन भूमि के विकाय की अनुमति दिए जाने का अनुरोध किया गया है ।

4/ अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ व्यायालय के आदेश को उचित बताया गया । उनके द्वारा यह भी कहा गया कि आवेदक द्वारा अधीनस्थ व्यायालय के अभिलेख की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों की प्रतियां पेश की गई हैं इस कारण इस निगरानी का निराकरण इसी स्तर पर करते हुए उसे निरस्त किया जाये ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क पर विचार किया एवं उनके द्वारा प्रस्तुत अधीनस्थ व्यायालय के अभिलेख की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों का परिशीलन किया । यह प्रकरण आवेदक द्वारा अधीनस्थ व्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भूमि विकाय के आवेदन पर प्राप्त हुआ है । जिसमें आवेदक द्वारा ग्राम नटवारा प.ह.नं. 34 रा. निमं. शहपुरा तहसील शहपुरा जिला जबलपुर स्थित भूमि ख. नं. 444/2 आदिम जनजाति के सदस्य श्री रमेश प्रसाद साहू को तथा सर्वे नंबर 613 एकबा 0.400


हैक्टर भूमि श्री इन्द्रकुमार पिता श्री रामदास कुर्मा को विक्रय की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है। उक्त आवेदन कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को जांच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा गया। अनुविभागीय अधिकारी ने उक्त आवेदन तहसीलदार को जांच हेतु भेजा गया। जिस पर से तहसीलदार द्वारा विधिवत् कार्यवाही की जाकर इश्तहार जारी करने एवं पटवारी का प्रतिवेदन आहूत किया गया। तहसीलदार द्वारा की जा रही कार्यवाही के दौरान आवेदक द्वारा संशोधित आवेदन प्रस्तुत किया गया कि इन्द्रकुमार पिता श्री रामदास कुर्मा की आर्थिक स्थिति ठीक न होने से वह भूमि कर्य नहीं कर रहा है अतः उसके स्थान पर श्री मनमोहन सिंह परिहार पुत्र सत्य प्रकाश सिंह परिहार निवासी सिविल लाइन पाटन भूमि कर्य करने को तैयार है पर भी जांच की जाकर तथा पटवारी प्रतिवेदन प्राप्त किया जाकर एवं उभयपक्ष के कथन लेने के उपरांत भूमि विक्रय की अनुशंसा का प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवेदनों में यह भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है आवेदक द्वारा विक्रय की जा रही भूमि शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि नहीं है बल्कि आवेदक द्वारा कर्य की गई है। कलेक्टर ने मुख्य रूप से आवेदक को इस आधार पर प्रस्तावित भूमि विक्रय की अनुमति देने से इकार किया है कि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक के नाम की प्रविष्टि 20-8-14 के आदेश द्वारा की गई है और और इसके तुरंत बाद ही दिनांक 4/9/14 को भूमि विक्रय किए जाने का अनुबंध किया जाकर दिनांक 12/9/14 को आवेदन प्रस्तुत किया गया है, इस कारण अंतरण संदेहास्पद है और आवेदक के हितों के विरुद्ध है। कलेक्टर का उक्त निष्कर्ष व्यायिक एवं विधिसम्मत नहीं है क्योंकि संहिता में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि भूमि कर्य किये जाने अथवा अशिलेख में नाम दर्ज होने के तत्काल बाद उसका अंतरण नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा जो प्रतिवेदन पेश किया गया है उसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि था आवेदक को पर्याप्त प्रतिफल मिल रहा है और अंतरण में छल कपट नहीं हो रहा है तथा भूमि विक्रय से आवेदक के आर्थिक हितों पर कोई विपरीत नहीं पड़ेगा। दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में जिन आधारों पर कलेक्टर ने आवेदक को भूमि विक्रय

की अनुमति देने से इकार किया हैं, वे आधार व्यायसंगत एवं औचित्यपूर्ण नहीं हैं इस कारण उनका आलोच्य आदेश स्थिर नहीं रखा जा सकता ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30-11-15 निरस्त किया जाता है एवं आवेदक को उसके भूमि स्वामित्व की ग्राम नटवारा प.ह.नं. 34 रा.निमं. शहपुरा तहसील शहपुरा जिला जबलपुर स्थित भूमि ख. नं. 444/2 एकबा 0.840 हैक्टर भूमि रेशा प्रसाद साहू पिता स्व. श्री परमूलाल साहू तथा भूमि खसरा नं. 613 एकबा 0.400 हैक्टर श्री मनमोहन सिंह परिहार पुत्र सत्य प्रकाश सिंह परिहार को विक्रय की अनुमति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है ।

- 1- यदि प्रस्तावित केता वर्तमान वर्ष 2015-16 की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो ।
- 2- केता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी ।
- 4- भूमि के विक्रयपत्र का पंजीयन इस आदेश के दिनांक से 3 माह की समयावधि में निष्पादित कराना अनिवार्य होगा ।

निगरानी तदनुसार निराकृत की जाती है ।



(एम०के० सिंह)
सदस्य

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
रवालियर